



प्रपत्र-ख (1)
नगरपालिका आम निर्वाचन, 2022 को अग्रसार पर प्रस्तावक द्वारा दिये जाने वाले

शपथ-पत्र

व 219-उमर

पिता/पति श्री. राजेश कुमार झा

उप 39

वर्ष, *नगर निगम/*नगर प्रभुत्व/*नगर न्यायपालिका

21.09.2022

को वार्ड संख्या 19

मोहम्मद

मोहम्मद

मोहम्मद

जिला मुजफ्फरपुर

बिहार का निवासी है तथा शपथपूर्वक घोषणा करता/करती है-

कि मैं *नगर निगम/*नगर प्रभुत्व/*नगर न्यायपालिका

मुजफ्फरपुर

को वार्ड संख्या 19

से

*पार्षद/*उप मुख्या पार्षद/*मुख्य पार्षद पद को नाम निर्देशन एवं दायित्व करने

वाले अभ्यर्थी श्री. राजेश कुमार झा

का प्रस्तावक है

कि मैं बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की भास 18 के उपबन्धों से एवं बिहार नगरपालिका निर्वाचन नियमावली के नियम 42(2) के प्रावधानों से पूर्णतः अवगत है;

कि मैं बिहार नगरपालिका निर्वाचन नियमावली के नियम 42(2) एवं बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की भास 18 के तहत *नगर निगम/*नगर प्रभुत्व/*नगर न्यायपालिका

मुजफ्फरपुर

को वार्ड संख्या 19

से

*पार्षद/*उप मुख्या पार्षद/*मुख्य पार्षद पद को प्रस्तावक/समर्थक बने रहने क

लिए अनर्हित नहीं हूँ;

कि मैं ऊपर कोई आपराधिक मामला देश के भीतर या बाहर के किसी भी न्यायालय में लॉबित नहीं है।

या

मेरे ऊपर आपराधिक मामलों से संबंधित सूचनाएँ (सुस्पष्ट एवं पठनीय, क्रमांक देते हुए) निम्नवत है:

1. देश के भीतर या बाहर के न्यायालय का नाम जहाँ आपराधिक मामला लॉबित है- मुजफ्फरपुर
2. वाद संख्या- मुजफ्फरपुर
3. आरोप की प्रकृति एवं लगाई गई धाराएँ- मुजफ्फरपुर

23 SEP 2022

SR. 23 DATE 23/9/22

थान- मुजफ्फरपुर

दिनांक- 23/9/22

THE ABOVE NAMED EX... HAS BEEN IDENTIFIED BY... PERSONALLY TO M... ADVOCATE... NOW... BEFORE... SATIS... AT...

Ravi Kumar

प्रस्तावक का हस्ताक्षर

लागू नहीं हो उसे काट दो

कार्यपालक दण्डाधिकारी/नोटरी पब्लिक/ओथ कमिश्नर के समक्ष शपथ ली जाएगी

I know.

Sanjay K. 4

Adv. 23/9/22